राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 865/2011/बीकानेर.

मैसर्स द्वारकादास अग्रवाल,
मूंदड़ा सेवगों का चौक, बीकानेर. ....अपीलार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, बीकानेर. .....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ
श्री खेमराज, अध्यक्ष
श्री मनोहर पुरी, सदस्य

उपस्थित ::

श्री वी. के. पारीक, अभिभाषक ....अपीलार्थी की ओर से.
श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक ....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 20/10/2016

निर्णय

1. यह अपील अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स) वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 327/आरवैट/बीकानेर/09–10 में पारित किये गये आदेश दिनांक 27.12.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वर्क्स एण्ड लीजिंग टैक्स, बीकानेर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) के राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 24 के अन्तर्गत कर निर्धारण वर्ष 2006–07 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 03.03.2009 से आरोपित कर राशि रूपये 1,56,686/– शास्ति रूपये 11,910/– व ब्याज रूपये 19,175/– के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को प्रतिप्रेषित किया है। अपीलार्थी ने अपीलीय अधिकारी द्वारा अपील प्रतिप्रेषित करने को विवादित किया है।

2. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी व्यवहारी का कर निर्धारण वर्ष 2006–07 का कर निर्धारण आदेश दिनांक 03.03.2009 को पारित किया गया। पारित आदेश में आरोपित कर, ब्याज व शास्ति के संबंध में सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किये जाने के कारण अपीलीय अधिकारी ने अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान करने का निर्देश देते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी प्रतिप्रेषित किया व अपीलार्थी को कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने के लिये पाबंद किया।

3. अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने बताया कि अपीलीय अधिकारी के प्रतिप्रेषण आदेश दिनांक 27.12.2010 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 13.03.2013 को कर निर्धारण आदेश पारित कर दिया है। अतः अपील निष्प्रभावी हो गई है।

लगातार.............2

4. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने पत्रावली के आधार पर बताया कि कर निर्धारण अधिकारी ने दिनांक 13.03.2013 को प्रतिप्रेषित आदेश की पालना में जो आदेश पारित किया है उसकी प्रति पृष्ठ संख्या 121 व 122 पर उपलब्ध है।

5. उभयपक्षों की बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर निर्धारण वर्ष 2006–07 का कर निर्धारण आदेश कर निर्धारण अधिकारी द्वारा दिनांक 03.03.2009 को पारित किया गया था। जिसके विरूद्ध अपील दायर किये जाने पर अपीलीय अधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 27.12.2010 के द्वारा अपील को स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया।

6. अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27.12.2010 की पालना में कर निर्धारण अधिकारी ने कर निर्धारण वर्ष 2006–07 का कर निर्धारण दिनांक 13.03.2013 को करते हुए अपील आदेश की पालना की है। अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रतिप्रेषित किये गये प्रकरण का निष्पादन कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कर दिये जाने के कारण प्रस्तुत अपील निष्प्रभावी हो गई है। इस संबंध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टान्त **सहायक आयुक्त हनुमानगढ़ बनाम मैसर्स मोहित ट्रेडिंग [(2009) 25 टैक्स अपडेट 59]** के मामले में दी गई व्यवस्था निम्न प्रकार है –

> "In my opinion, no error has been committed by learned Tax Board while rendering the appeal filed by the Department as infructuous in view of the fact that the Assistant Commissioner, Commercial Taxes has decided the matter finally on remand. Therefore, no interference is required in the impugned order. However, it is made clear that the final order dated 30.11.2007 passed in pursuance of remand order 21.9.2007 was not under challenge in the appeal before the learned Tax Board."

7. उपरोक्त तथ्यात्मक व विधिक विवेचना के पश्चात् प्रस्तुत अपील निष्प्रभावी हो जाने के कारण खारिज किये जाने योग्य है अतः खारिज की जाती है।

8. निर्णय सुनाया गया।

20/10/2011

(मनोहर पुरी)
सदस्य

(खेमराज)
अध्यक्ष